फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर

कैलाश चन्द शर्मा बनाम राम सहाय वगै०

दमा संख्या/वर्ष : _____ / 20

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वादी को साक्ष्य कादी हेतु पत्रावली दिनांक 5/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	5/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० सांगानेरी ने जवाब मैलाश चन्द का सपना पत्र पेश किया अभिलेख पर है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत है। पुनः दिनांक 3/7/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	3/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने साक्ष्य पेश करने पर बाद में बहस अन्तिम किया जाये प्रार्थना किया बहस अन्तिम वकील वादी एडवोकेट वादी का तर्क स्वीकार किया जाकर अन्तिम बहस सुना जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली केवल आगे होकर [illegible] बाद तामील दायर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested